फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व वाद संख्या : 342/2008

उनवानः— मूर्ति मन्दिर श्री जगतश्रवण जी बनाम भौरिया व अन्य

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील काउन्टरक्लेमकर्त्ता/प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टरक्लेम का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टरक्लेम स्वीकार किया डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

रिकॉर्ड में गैर खातेदारी को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अतः तनकी नंबर 7 प्रतिवादी के पक्ष में व विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

8. आया प्रतिवादी नंबर 1 का काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है?

— बजिम्मे वादी

तनकी नंबर 8 को साबित करने का भार वादीगण पर था लेकिन वादीगण दौराने वाद ना तो स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये ना ही उनके अधिवकता उपस्थित आये है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के खण्डन में ना तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है ना ही प्रतिवादी के साक्ष्यों से जिरह की है ना ही बहस की है। वादीगण द्वारा अपने वाद में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य हो। अतः तनकी नंबर 1 विरूद्व वादीगण व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

उपरोक्त समस्त तनकीयात काउन्टरक्लेमकर्त्ता/प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्व निर्णित की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने काउन्टर क्लेम को स्वीकार करने में सफल रहे है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नंबर 1173/8099 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1174 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1175 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1176 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1186 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1187 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.3300 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां ए व बी भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में प्रतिवादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

मूर्ति मन्दिर श्री जगतश्रवण जी बनाम गौरिया व अन्य
2008/342
निर्णय दिनांक : 08.09.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व
इजलास गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

मूर्ति मंदिर श्री जगत श्रवण जी
बनाम
गौरिया व अन्य

वाद घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा
व काउन्टर क्लेम

मुकदमा नम्बर – दावा/342/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील ....मिनजानिब मुदई रूबरू प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नंबर 1173/8099 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1174 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1175 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1176 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1186 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1187 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.3300 हैक्टेयर वाके ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां ए व बी भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में प्रतिवादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत ....
.... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.09.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

सत्यमेव जयते

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय